न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 205/2022

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खेतडी नगर, झुंझुनूं।
–– प्रार्थी (सिक्योर केडिटर)

बनाम

1. ऋणी– श्रीमती नांची देवी पत्नि श्री दशरथ मीणा, पता बडा मौहल्ला, वार्ड नं0 9, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)
2. जमानतदार– श्री दशरथ मीणा पुत्र माली राम मीणा, पता बडा मौहल्ला, वार्ड नं0 9, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)

–– अप्रार्थी/ऋणी/गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्शट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 जिसे एतद् पश्चात् एक्ट के नाम से सम्बोधित किया गया है ऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर बैंक को दिलाये जाने के लिए।

–––

उपस्थितः–

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा– प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकट श्री रविन्द्र सिहं शेखावत– अप्रार्थी सं0 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 16.11.2022

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी/गारन्टर को राशि रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख रूपये) का ओ0डी0 मॉर्गेज ऋण दिनांक 03.02.2016 को स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि करार के अन्तर्गत निम्न प्रतिभूति आस्तियों (जो कि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार मे स्थित है) से रक्षित हैः– वार्ड नं0 9, बडा मौहल्ला, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) मे स्थित है जो श्रीमती नांची देवी पत्नि श्री दशरथ मीणा के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 193.22 वर्गगज है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 01.04.2021 को अनर्जक परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 17.08.2021 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0एडी0/कोरियर/यू0पी0सी0 से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ओ0डी0 मॉर्गेज ऋण खाते मे बैंक की बकाया कुल राशि रूपये 8,27,733.00 (अक्षरे आठ लाख सताईस हजार सात सौ तेतीस रूपये) दिनांक 16.08.2021 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग ऋणी/जमानतदार से की थी। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात से लेकर आज प्रार्थना पत्र दायरी तक ऋणी/जमानतदार द्वारा न तो बैंक को उक्त मांग नोटिस में वर्णित सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा करवाई गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी/ऋणियों/जमानतदार को उपरोक्त नोटिस के अनुसार नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिवस के अन्दर ऋण राशि रूपये 8,27,733.00 (अक्षरे आठ लाख सताईस हजार सात सौ तेतीस रूपये) दिनांक 16.08.2021 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त जमा करान था परन्तु ऋणी ने उपरोक्त नोटस के अनुसार ऋण राशि जमा नही कराने के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत बैंक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 16:09:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

पास गिरवीकृत अचल सम्पत्ति वार्ड नं0 9, बडा मौहल्ला, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) मे स्थित है जो श्रीमती नांची देवी पत्नि श्री दशरथ मीणा के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 193.22 वर्गगज है का कब्जा लेकर बिक्री करने की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। गिरवीकृत सम्पत्तियां जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है है का पता निम्न है वार्ड नं0 9, बडा मौहल्ला, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) मे स्थित है जो श्रीमती नांची देवी पत्नि श्री दशरथ मीणा के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 193.22 वर्गगज है। अतः बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थन पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/ऋणियों/जमानतदार से प्रार्थी बैंक को दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि उन्हे बकाया ऋण को 20–20 प्रतिशत के टुकडों मे जमा कराने का अवसर प्रदान किया जावे।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं0 1 श्रीमती नांची देवी पत्नि श्री दशरथ मीणा के मालिकाना हक की अचल संपत्ति वार्ड नं0 9, बडा मौहल्ला, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राजस्थान) मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 193.22 वर्गगज है का पजेशन प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 16.11.2022 को लिखकर जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:49 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं